

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 66/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री जमना लाल शर्मा पुत्र ओंकार लाल बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
निवासी श्री बिहारी निकुंज रामनगर तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा
कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04.10.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 03.09.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 48 एफ 474531 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 29.07.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.09.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 61 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना कार्यालय तहसीलदार कोटड़ी के पत्रांक 1891 दिनांक 20.09.2021 से अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला भीलवाड़ा
भीलवाड़ा